विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 711/वि0स0/संसदीय/175 (सं)/2013

लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

डा0 मोहम्मद अय्यूब, अध्यक्ष, पीस पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान, सदस्यगण, उ0प्र0 विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 20 सितम्बर, 2013 एवं दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को दायर की गई याचिका पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2015 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अभिसूचित किया जाता है :–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

डा0 मोहम्मद अय्यूब द्वारा श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर निर्णय

निर्णय

डा0 मोहम्मद अय्यूब, अध्यक्ष, पीस पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 एवं दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान सदस्यगण, उ0प्र0 विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गई है।

2–संक्षेप में याची डा0 मोहम्मद अय्यूब द्वारा यह कहा गया है कि पीस पार्टी एक राजनैतिक दल है तथा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अन्तर्गत पंजीकृत है। याची के अनुसार वह पीस पार्टी का अध्यक्ष है।

3–याची का कथन है कि वर्ष 2012 के विधान सभा के आम चुनाव में श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान पीस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने के उपरान्त कुछ दिनों तक वह पार्टी की बैठकों में भाग लेते रहे तथा पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच प्रचारित करते रहे किन्तु कुछ समय बाद वे पार्टी द्वारा आहूत बैठकों में न तो सम्मिलित हुए और न ही पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ही सम्मिलित हुए। याची का यह भी कथन है कि विपक्षीगण लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना सूचना व बिना कारण बताये सम्मिलित नहीं हुए।

4–याची द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि पार्टी के संविधान/नियमावली की धारा 6 की उपधारा 8 में उल्लिखित है कि यदि पार्टी का कोई सदस्य बिना सूचना दिये व बिना समुचित कारण बताये पार्टी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता पार्टी से समाप्त हो जायेगी तथा ऐसा सदस्य पार्टी का सदस्य नहीं रह जायेगा ।

5–याची का कथन है कि विपक्षीगण पार्टी की दिनांक 27.2.2013, 15.5.2013, 20.8.2013 की बैठकों में उपस्थित नहीं हुए। चूंकि विपक्षीगण लगातार तीन से अधिक पार्टी की बैठकों में बिना सूचना व बिना युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहे अतः उनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिनांक 20.8.2013 से पार्टी की सदस्यता त्याग कर दी गई और वे पार्टी के सदस्य नहीं रहे, अतएव वे विधान सभा की सदस्यता हेतु निरर्ह हो गये। इस सम्बन्ध में पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग व मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को सूचना दे दी गई थी।

6–याची का यह भी कथन है कि विपक्षीगण को पार्टी से उनकी सदस्यता समाप्ति की सूचना दे दी गई थी जिसे विपक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया और किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई।

7–याची का कथन है कि विपक्षीगणों द्वारा स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने की जानकारी पत्र दिनांक 20.9.2013 द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को दे दी गई थी। चूंकि विपक्षीगण पीस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे और चूंकि विपक्षीगण ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्याग दी है और उनकी सदस्यता पीस पार्टी से दिनांक 20.8.2013 से समाप्त हो गई है, अतः वे विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्ह हो गये हैं। याची ने इसी आधार पर विपक्षगणों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत निरर्ह घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

8–याची द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका के सम्बन्ध में प्रतिपक्षियों से पत्र दिनांक 04.12.2013, 18.12.2013, 06.01.2014, 31.01.2014, 03.03.2014, 04.04.2014 तथा 18.06.2014 द्वारा यह अपेक्षा की गई कि वे याचिका के सापेक्ष अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें तथा 19 अगस्त 2014 को याचिका की सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

9–प्रतिपक्षी श्री अखिलेश सिंह ने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा यह अनुरोध किया कि वे अस्वस्थ हैं तथा उक्त नोटिस का उत्तर देने हेतु उन्हें दो माह का समय दिया जाय। उक्त पत्र श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया।

10–उक्त याचिका के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता डा0 मोहम्मद अय्यूब द्वारा पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2014 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उनकी याचिका का शीघ्र निस्तारण किया जाय। उन्होंने विभिन्न आधार दर्शाते हुए यह कहा कि विपक्षीगणों ने पीस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2014 सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तथा याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया गया कि सुनवाई की तिथि पर वह अपने दल के पंजीकरण/मान्यता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करें। विपक्षीगण को यह निर्देश दिये गये कि वह सुनवाई हेतु नियत तिथि तक अपना प्रतिउत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

11–दिनांक 19 अगस्त 2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे याचिकाकर्ता डा0 मोहम्मद अय्यूब तथा विपक्षीगण श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान मा0 अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता की ओर से पीस पार्टी के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये गये । विपक्षीगण श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान द्वारा सुनवाई हेतु अग्रेतर समय हेतु अनुरोध किया गया । विपक्षीगण द्वारा समय की मांग किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 9 सितम्बर, 2014 निर्धारित की गई।

12–दिनांक 9 सितम्बर, 2014 को मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के मुख्यालय से बाहर होने के कारण उनके निर्देशानुसार सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 15 सितम्बर, 2014 निर्धारित की गई।

13–दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को विपक्षीगण श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि विपक्षीगण श्री अखिलेश कुमार सिंह के अस्वस्थ होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिउत्तर/टिप्पणी पर हस्ताक्षर नहीं कर पाये हैं, अतः विपक्षीगण को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु आगे और समय प्रदान किया जाये । तद्नुसार मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 23 सितम्बर, 2014 नियत की गई ।

14–दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को याचिका पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। याची डा0 मोहम्मद अय्यूब तथा विपक्षीगण श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री अनीसुर्रहमान अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुए। विपक्षीगण द्वारा अपनी टिप्पणी/प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

15–विपक्षीगण द्वारा याचिका आधारविहीन होने के कारण निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। विपक्षीगण के अनुसार वह पीस पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने विधान सभा में पीस पार्टी के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। विपक्षीगण ने कहा है कि उन्होंने पीस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से कभी त्याग नहीं की। विपक्षीगण आज भी पीस पार्टी के सदस्य हैं और पीस पार्टी के चुने हुए, विधान सभा के सदस्य व पार्टी के साधारण सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। विपक्षी संख्या–1 श्री अखिलेश कुमार सिंह को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान मण्डल दल के नेता के रूप में तथा विपक्षी संख्या–3 श्री अनीसुर्रहमान को विधान मण्डल दल के उपनेता के रूप में तथा विपक्षी संख्या–2 श्री कमाल यूसुफ मलिक को पीस पार्टी विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक के रुप में मान्यता प्रदान की गयी है। विपक्षीगण के अनुसार बैठक की सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने सदैव पार्टी की बैठक में भाग लिया और आगे भी जब कभी बैठक की सूचना प्राप्त होगी तो विपक्षीगण उसमें भाग लेंगे।

16–विपक्षीगण ने यह कहा है कि उक्त याचिका द्वेषवश डा0 मोहम्मद अय्यूब द्वारा बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है। वर्तमान विधान सभा में पीस पार्टी के चुनाव चिह्न से कुल 4 सदस्य निर्वाचित हुए हैं– 1. डा0 मोहम्मद अय्यूब 2. श्री अखिलेश कुमार सिंह 3. श्री कमाल यूसुफ मलिक 4. श्री अनीसुर्रहमान। विपक्षीगण के अनुसार विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने से पहले डा0 मोहम्मद अय्यूब को विधान मण्डल दल के नेता के रूप में मान्यता दी गई थी परन्तु उनके द्वारा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन न करने एवं तानाशाही का रवैया अपनाने के कारण पीस पार्टी के सभी विधायकों की बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2013 में डा0 मोहम्मद अय्यूब को विधान मण्डल दल के नेता के पद से मुक्त करने का निर्णय लिया गया और उसी बैठक में विपक्षी संख्या–1 श्री अखिलेश कुमार सिंह को विधान मण्डल दल के नेता के रूप में तथा विपक्षी संख्या–3 श्री अनीसुर्रहमान को विधान मण्डल दल के उपनेता के रूप में तथा विपक्षी संख्या–2 श्री कमाल यूसुफ मलिक को पीस पार्टी विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक के रूप में चुना गया।

17–विपक्षीगण के अनुसार डा0 मोहम्मद अय्यूब ने न तो कभी पार्टी के विधायकों की बैठक आहूत की और न कभी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश के तथा जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी। जब डा0 मोहम्मद अय्यूब को विधान मण्डल दल के नेता पद से मुक्त कर विपक्षी संख्या–1 को विधान मण्डल दल का नेता निर्वाचित किया गया तभी से डा0 मोहम्मद अय्यूब पार्टी के चुने हुए विधायकों को विधान सभा से निष्कासित कराने की कार्यवाही करने लगे। विपक्षीगण ने यह कहा है कि डा0 मोहम्मद अय्यूब के स्थान पर विपक्षी संख्या–1 को विधान मण्डल दल के नेता के रूप में दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को मान्यता प्रदान की गई और उसी के पश्चात दिनांक 20 सितम्बर, 2013 से डा0 मोहम्मद अय्यूब ने सदस्यता समाप्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये।

18–विपक्षीगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति के रूप में यह आपत्ति दर्शित की गयी है कि प्रस्तुत याचिका अपोषणीय होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है। विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता को ही है। उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 2(4) सपठित नियम 3(1)(ख) का तात्पर्य यह है कि पार्टी के सम्बन्ध मे मा0 अध्यक्ष के समक्ष कोई भी जानकारी या निवेदन विधान मण्डल दल के नेता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

19–विपक्षीगण के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 7(5) में यह प्राविधान है कि *''प्रत्येक याचिका पर याची के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अभिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा।'* विपक्षीगण का कथन है कि चूंकि याचिका के संलग्नकों का सत्यापन नहीं किया गया है अतएव याचिका पोषणीय नहीं है तथा संलग्नक फर्जी रूप से पूर्व दिनांक में याचिका प्रस्तुत करने हेतु तैयार किये गये हैं।

20–विपक्षीगण का यह भी कथन है कि पीस पार्टी अभी तक चुनाव आयोग द्वारा मात्र पंजीकृत राजनैतिक दल है यह मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी नहीं है। विपक्षीगण के अनुसार इस सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या यह संविधान की दसवीं अनुसूची में परिभाषित राजनैतिक दल की परिभाषा से आच्छादित होगा? विपक्षीगण ने नियमावली के नियम 8(2) के अन्तर्गत याचिका को निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

21–विपक्षीगण का कथन है कि याचिका में वर्णित अनुतोष हेतु आधार प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है किन्तु याचिका में स्पष्ट रूप से आधार वर्णित न होने के कारण याचिका आधारहीन है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

22–विपक्षीगण ने नियमावली के नियम 7(4)(ख) का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि याची द्वारा अपनी याचिका में पीस पार्टी के पदाधिकारियों के नाम–पते, राष्ट्रीय इकाई के तीनों अंगों के पदाधिकारियों के नाम–पते, प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के नाम–पते, जिला इकाई के पदाधिकारियों के नाम–पते तथा तथाकथित बैठकों का एजेण्डा एवं एजेण्डे की सूचना इकाई के पदाधिकारियों तथा निर्वाचित सदस्यों को किस प्रकार दी गई का उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षीगण का यह भी कथन है कि याचिका के साथ पार्टी संविधान की पूर्ण प्रतिलिपि नहीं लगाई गई है। विपक्षीगण के अनुसार पार्टी के अन्य किसी सदस्य, लगातार तीन बैठकों में भाग न लेने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त करने की सूचना नहीं दी गयी है तथा पार्टी की किसी भी बैठक की सूचना प्राप्त न होने के कारण याचिका पोषणीय नहीं है।

23–विपक्षीगण ने प्रस्तरवार अपने उत्तर में यह कहा है कि डा0 मोहम्मद अय्यूब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है न कि प्रदेश इकाई अथवा जिला इकाई के। उनका कथन है कि वे पीस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत कर आये हैं और आज भी पीस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। उनका कथन है कि पार्टी की बैठक की सूचना प्राप्त होने पर विपक्षीगण ने बैठकों में भाग लिया है। जहाँ तक याचिका में तथाकथित पार्टी की दिनांक 27–2–2013, 15–5–2013 तथा 20–8–2013 की बैठक में भाग न लेने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में विपक्षीगण ने यह कहा है कि उन्हें उन बैठकों की सूचना प्राप्त नहीं हुई। विपक्षीगण ने बैठक के सम्बन्ध में एजेण्डे में किये गये हस्ताक्षर, बैठक के स्थान व समय के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए इन बैठकों को कूटरचित बताया है। उनका यह भी कथन है कि पार्टी विधान मण्डल दल के नेता पद से याची को दिनांक 20–9–2013 को मुक्त कर दिया गया था जिससे याची द्वारा तथाकथित दिनांक 27–2–2013, 15–5–2013 एवं 20–8–2013 की बैठक में उपस्थित न होने की फर्जी एवं कूट रचित अभिलेख तैयार कर याचिका प्रस्तुत की गयी है। विपक्षीगण के अनुसार याचिका के साथ संलग्नक के रूप में जो एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है उसमें

विभिन्न जिलों के 51 लोगों के हस्ताक्षर हैं जो कदाचित सम्भव नहीं हैं। इसी तरह याचिका के पृ0 32 पर दिनांक 20–8–2013 की बैठक के बारे में जो एजेण्डा संलग्न है उसमें भी विभिन्न जिलों के 52 लोगों के हस्ताक्षर हैं। याचिका के पृ0 सं0–23 पर बैठक का स्थल दारुलशफा के कॉमन हाल में 11–00 बजे दिन में प्रारम्भ होने का उल्लेख है जबकि याचिका के पृ0–24 पर प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन नारी नाट्य कला प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ में भाग लेने वाले लोगों की उपस्थिति का अभिलेख संलग्न किया गया है। विपक्षीगण ने यह भी कहा है कि दिनांक 15–5–2013 को दारुलशफा ए ब्लाक स्थित कॉमन हाल अध्यक्ष, एसोसिएशन बोरिंग तकनीशियन, लघु सिंचाई, लखनऊ के नाम से आवंटित था। विपक्षीगण का यह भी कथन है कि याचिका के साथ संलग्न बैठक के एजेण्डे की प्रति में बैठक का स्थान दारुलशफा ए ब्लाक स्थित दर्शाया गया है जिसकी क्षमता 80 लोगों से अधिक की नहीं है जबकि बैठक में भाग लेने वालों की संख्या लगभग 250 दर्शायी गयी है। इस आधार पर विपक्षीगण ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि याचिका कूटरचित अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

24–दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को याचिका में सुनवाई पूर्ण हुई । उभयपक्षों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया । मैंने पत्रावली में सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का परीक्षण किया।

25–विपक्षीगण द्वारा अपनी टिप्पणी में एवं मामले की सुनवाई के दौरान प्रारम्भिक रूप से यह आपत्ति उठायी गयी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 7(5) के अन्तर्गत याचिका के अभिवचनों एवं उसके उपाबन्धों का विधिवत सत्यापन नहीं किया गया है । अतः याचिका पोषणीय नहीं है । याची की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उनके द्वारा याचिका का विधिवत सत्यापन किया गया है, परन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि सत्यापन में कतिपय त्रुटियां हैं तो भी याचिका का सत्यापन याचिका की पोषणीयता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न नहीं कर सकता । याची की ओर से इस सम्बन्ध में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिका की सुनवाई प्रारम्भ हो गयी है, अतः इस स्तर पर नियम–7 के अन्तर्गत याचिका के सत्यापन के विषय में आपत्ति उठाया जाना तर्कसंगत नहीं है । इस सम्बन्ध में याची की ओर से कतिपय विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गयी हैं ।

26–संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाओं के सत्यता के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8, एससीसी 747)** में इस आशय की अवधारणा व्यक्त की गयी है कि भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका के विषय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता अथवा न्याय प्रणाली की दुरूह जटिल प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अपेक्षित नहीं है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से विधि व्यवस्था दी गयी है कि भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली बाध्यकारी नहीं है वरन् मार्गदर्शी है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में पारित किये गये निर्णय के निम्नलिखित सुसंगत अंशों से स्पष्ट है :–

> "***The Purpose and object of the Rules is to facilitate the job of the Chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by Paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Tenth Schedule. The Rules being in the domain of procedure are intended to facilitate the holding of inquairy and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the Rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and***

scope of the substantive provision, namely, the tenth sechedule. There is no provision in the Tenth Schedule to the effect that until a petition which is signed and verified in the manner laid down in CPC for verification of pleadings is made to the Chairman or the Speaker of the House, he will not get the jurisdiction to give a decision as to whetherr a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule. Paragraph 6 of the Schedule does not contemplate moving of a formal petition by any person for assumption of jurisdiction by the Chairman or the Speaker of the House. The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under Paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman. There is no list between the person moving the petition and the member of the House who is alleged to have incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead evidence, Even if he withdraws the petition it will make no difference as a duty is cast upon the Chairman or the Speaker to carry out the mandate of the constitutional provision viz. the Tenth Schedule. The object of Rule 6 which requires that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in CPC for the verification of pleadings, is that frivolouis petitions making false allegations may not be filed in order to cause harassment. It is not possible to give strict interpretation to Rules 6 and 7 otherwise the very object of the Constitution (Fifty-Second Amendment) Act by which the Tenth Schedule was added would be defeated. A defaulting letgislator, who has otherwise incurred the disqualification under Paragraph2, would be able to get away by taking the advantage of even a slight or insignificant error in the petition under sub-rule (2) of Rule 7. The validity of the Rules can be sustained only if they are held to be directory in nature as otherwise, on strict interpretation, they would be rendered ultra vires."

27–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बालचन्द्र एल0जारकीहोली एवं अन्य प्रति बी0एस0 यदुरप्पा एवं अन्य (2011) 7 एससीसी–1** के मामले में पारित निर्णय में डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रकरण में पारित निर्णय का संदर्भ देते हुए दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के विषय में व्यक्त की गयी अवधारणायें भी उल्लेखनीय हैं जोकि निम्नवत् हैं :–

"One of the questions which was raised and answered in Dr. Mahachandra prasad Singh case was the nature and effect of non-compliance with the provisions of Rules 6 and 7 of the Disqualification Rules, 1994. It was held therein by a Bench of three Judges of this Court that the said provisions were directory and not mandatory and the omission to file on affidavit neither rendered the petition invalid nor did it affect the assumption of jurisdiction by the Chairman to initiate proceedings to determine the question of disqualification of a Member of the House. In the facts of the said case it was held that the 1994 Rules being subordinate legislation, they were directory and not mandatory as they could not curtail the content and scope of the substantive provision under which they were made. However, the facts of this case differ significantly from the facts in Dr. Mahachandra case."

28–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामलों में व्यक्त की गयी अवधारणाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अपेक्षित नहीं है परन्तु ऐसे नियमों का सारभूत (सब्स्टेन्शियल) अनुपालन किया जाना आवश्यक है । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में याची की ओर से याचिका के समर्थन में दिये गये शपथ–पत्र में याचिका के समस्त तथ्यों को दोहराया गया है तथा उनको प्रमाणित किया गया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 7 में वर्णित शर्तो का सारभूत अनुपालन प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी उक्त विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में विपक्षी द्वारा उक्त नियमावली के कतिपय नियमों का अनुपालन न किये जाने के विषय में उठायी गयी आपत्तियां बलहीन हैं । अतः इन प्रारम्भिक आपत्तियों के आधार पर प्रस्तुत याचिका की पोषणीयता के बारे में प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के क्रम में मात्र उपयुक्त सत्यापन न होने के कारण याचिका को पोषणीय न माना जाना विधि के अनुकूल प्रतीत नही होता है ।

29–विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के सम्बन्ध में अन्य प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय की भी उठायी गयी है, कि चूंकि डॉ0 अय्यूब को विधान मण्डल दल के नेता के पद से मुक्त कर दिया गया है, अतः वह प्रश्नगत याचिका को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत अथवा सक्षम नहीं हैं । याची की ओर से इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिका पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता द्वारा ही प्रस्तुत की जाये वरन् यह याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है । इस सम्बन्ध में याची की ओर से कतिपय विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गयी हैं ।

30–उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7(2) में उल्लिखित प्राविधान इस सम्बन्ध में सुसंगत हैं जो कि निम्नवत् है :–

> 7(2)–**''उपनियम एक में निर्दिष्ट कोई याचिका किसी व्यक्ति द्वारा प्रमुख सचिव को लिखित रूप में दी जा सकेगी ।''**

31–उपर्युक्त प्राविधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपनियम में निर्दिष्ट याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी । वर्णित स्थिति में यह कहना विधिसंगत नहीं है कि मात्र विधान मण्डल दल के नेता द्वारा ही दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत की जा सकती है । इस सम्बन्ध में **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष, उड़ीसा विधान सभा प्रति उत्कल केसरी परीदा ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 1181** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था सुसंगत है :–

> ***"The aforesaid observation is precisely what we too have in mind, as otherwise, the very object of the introduction of the Tenth Schedule to the Constitution would be rendered meaningless. The provisions of Sub-rules (1) and (2) of rule 6 of the 1987 Rules have, therefore, to be read down to make it clear that not only a Member of the House, but any person interested, would also be entitled to bring to the notice of the Speaker the fact that a Member of the House had incurred disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India. On receipt of such information, the Speaker of the House would be entitled to decide under paragraph 6 of the Tenth Schedule as to whether the Member concerned had, in fact, incurred such disqualification and to pass appropriate orders on his findings."***

32–विपक्षीगण द्वारा यह आपत्ति भी उठायी गयी है कि पीस पार्टी मात्र एक पंजीकृत राजनीतिक दल है तथा यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नहीं है, अतः दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत राजनीतिक दल की परिभाषा से इसको आच्छादित नहीं माना जायेगा । विपक्षीगण के इस तर्क में बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दसवीं अनुसूची में 'मूल राजनीतिक दल' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :–

''(ग) सदन के किसी सदस्य के सम्बन्ध में ''मूल राजनीतिक दल'' से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है''

दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा 1 में सदन के सदस्य के रूप में ''राजनैतिक दल'' का उल्लेख किया गया है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2(च) के अन्तर्गत 'राजनीतिक दल' निम्नवत् परिभाषित किया गया है :–

''(च) 'राजनैतिक दल' से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जो धारा 29 क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है ।''

33–उपर्युक्त प्राविधानों के समेकित परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल को दसवीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल माना जायेगा । याची द्वारा याचिका में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि पीस पार्टी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अन्तर्गत पंजीकृत दल है । वर्णित स्थिति में विपक्षीगण द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये तर्क बलहीन हैं ।

34–चूंकि प्रारम्भिक रूप से विपक्षीगण द्वारा उठाई गयी उक्त आपत्तियां मान्य नहीं हैं । अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाना अपेक्षित एवं अपरिहार्य है, तद्नुसार ही प्रकरण में विधि के अनुकूल विनिश्चय किया जा सकेगा ।

35–याचिकाकर्ता ने विपक्षीगण को निरर्ह घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह आधार दर्शाया है कि विपक्षीगण द्वारा लगातार दिनांक 27–2–2013, 15–5–2013 एवं 20–8–2013 को सम्पन्न हुई पीस पार्टी की बैठकों में भाग नहीं लिया, अतः पीस पार्टी के संविधान के खण्ड–6 उपखण्ड–8 के अन्तर्गत विपक्षीगण द्वारा स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्याग दी गयी है एवं दिनांक 20–8–2013 से वह पार्टी के सदस्य नहीं रह गये हैं, जिसके फलस्वरूप विपक्षीगण विधान सभा के सदस्य रहने के लिये निरर्ह हो गये हैं ।

36–याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि चूंकि विपक्षीगण ने लगातार तीन पार्टी की बैठकों में भाग नहीं लिया अतः पार्टी के संविधान के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है । इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता ने पीस पार्टी के संविधान के सुसंगत अंशों की प्रति भी संलग्न की है जिसमें कि धारा 6(8) निम्नवत् है :–

1– <u>धारा–6 ''पीस पार्टी'' के सदस्यता की समाप्ति</u>

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्न आधार पर समाप्त होगी–

1. विवेच्य में सदस्यता न ग्रहण करने पर।
2. सदस्य के पागल घोषित होने पर।
3. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
4. सदस्य के ऐसे अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर जिससे उसकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव लड़ने की अर्हता समाप्त हो जाये।
5. पार्टी के सक्षम पदाधिकारी द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने के जुर्म में सदस्यता समाप्त किये जाने पर।
6. सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग–पत्र देने पर।

7. सदस्य द्वारा किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेने पर।

8. यदि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य लगातार तीन पार्टी की बैठकों में पूर्व सूचना दिये बगैर तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी।

37–प्रस्तुत याचिका 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत इस अनुतोष के साथ योजित की गयी है कि विपक्षीगण को पीस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देने के आधार पर विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाय । दसवीं अनुसूची में, के सुसंगत अंश निम्नवत् हैंः–

''2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता– (1) पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें–

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण– इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिये :–

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नाम–निर्देशित सदस्य के बारे में,–

(I) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नाम–निर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(II) किसी अन्य दशा में यह समझा जायेगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका वह, यथास्थिति, अनुच्छेद–99 या अनुच्छेद–188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् बनता है या पहली बार बनता है ।''

38–दसवीं अनुसूची की उपर्युक्त प्राविधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्राविधान 'दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता' के विषय में प्राविधानित किया गया है । उक्त प्राविधान के परिशीलन से यह भी ध्वनित होता है कि निरर्हता का आधार दल परिवर्तन होना चाहिए । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2(1)(क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में **'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0'** के मामलों में पारित निर्णयों के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (एक्सप्रेस) अथवा विवक्षित (इम्प्लाईड) हो सकता है। अतः सदन का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से अथवा अपने आचरण से भी दल परिवर्तन कर सकता है एवं दोनों दशाओं में दसवीं अनुसूची के प्राविधान उसके सम्बन्ध में आकर्षित हो जायेंगे । परन्तु प्रकरण के तथ्यों से यह सिद्ध एवं उजागर होना चाहिए कि सम्बन्धित सदस्य अथवा सदस्यगण द्वारा अपने मूल राजनैतिक दल के विपरीत किसी अन्य दल के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है अथवा मूल राजनैतिक दल के निर्देशों का पालन न करते हुए उसके उद्देश्यों के विपरीत कार्य किया है । संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत

निहित मन्तव्यों के अनुसार तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि सदन के किसी सदस्य या सदस्यों ने अपने किसी कृत्य से स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने का आचरण किया है उसी दशा में उनके सम्बन्ध में निरर्हता आकर्षित होगी।

39–संविधान में दसवीं अनुसूची संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में जोड़ी गयी । दसवी अनुसूची में निहित मन्तव्यों के अनुसार जिस राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सदन में उस सदस्य का निर्वाचन हुआ है उस राजनीतिक दल के विरुद्ध आचरण करने से अन्यथा किसी और दल में सम्मिलित होने से या मूल राजनीतिक दल के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने से सदस्य द्वारा ऐसे दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग किया जाना माना जा सकता है, परन्तु किसी राजनीतिक दल के आंतरिक अनुशासन अथवा किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्राविधानों के उल्लंघन के विषय में दसवीं अनुसूची का क्षेत्राधिकार एवं प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं । याचिकाकर्ता की ओर से ऐसी कोई विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कि यह अवधारित किया जा सके कि किसी राजनीतिक दल की उपविधि अथवा संविधान के उल्लंघन से दसवीं अनुसूची के खण्ड–2(1)(क) के अन्तर्गत ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्याग किया जाना प्रदर्शित हो सके । पीस पार्टी के संविधान की धारा 6(8) के अन्तर्गत यदि किसी सदस्य द्वारा पार्टी की तीन बैठकों में लगातार भाग नहीं लिया जाएगा तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी यह आचरण दसवीं अनुसूची के खण्ड 2(1)(क) के अन्तर्गत स्वेच्छा से दल की सदस्यता को त्यागने की परिधि में नहीं माना जा सकता । दसवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से निहित है कि इस अनुसूची के अन्तर्गत निरर्हता का विनिश्चय दल परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा । याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई आधार अथवा तथ्य प्रदर्शित नहीं किया गया है जिससे कि विपक्षीगण द्वारा दल परिवर्तन की कोई कार्यवाही अथवा आचरण प्रदर्शित हो ।

40–पीस पार्टी के संविधान की धारा 6 (8) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यदि पार्टी का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में पूर्व सूचना के बिना अथवा यथोचित कारण के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। अतः इस प्राविधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि धारा 6 (8) के अन्तर्गत पार्टी के किसी सदस्य द्वारा लगातार तीन बैठकों में भाग न लेने से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसमें सम्बन्धित सदस्य के किसी अन्य कृत्य की आवश्यकता नहीं है । वर्णित स्थिति में पीस पार्टी के संविधान की धारा 6(8) के अन्तर्गत स्वतः सदस्यता समाप्ति को दसवीं अनुसूची के खण्ड 2(1) (क) स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें सम्बन्धित सदस्य द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई कृत्य अथवा आचरण नहीं किया है, जिसके आधार पर उसके द्वारा सदस्यता त्याग करने का तथ्य सिद्ध अथवा उजागर हो सके । वर्णित स्थिति में प्रस्तुत याचिका के तथ्यों के सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं ।

41–याचिकाकर्ता की ओर से इस तथ्य पर बल दिया गया है कि राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ने के विषय में युक्तियुक्त व्याख्या होनी चाहिए । किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन अथवा किसी राजनीतिक दल की बैठक में भाग न लिया जाना कदाचित संविधान की दसवीं अनुसूची के खण्ड 2(1)(क) के अन्तर्गत स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ने को आधार माना जाना संवैधानिक योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है । प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं एवं पीस पार्टी के संविधान के अन्तर्गत पार्टी की बैठकों में लगातार भाग न लिये जाने को दसवीं अनुसूची में निहित मन्तव्यों के अन्तर्गत पीस पार्टी की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग किया जाना मान्य नहीं है । विपक्षीगण द्वारा इस पर बल दिया गया है कि वह अभी भी पीस पार्टी के सदस्य हैं तथा वह पीस पार्टी के उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं ।

42–यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि पीस पार्टी की बैठक दिनांक 27–02–2013, 15–5–2013 एवं 20–8–2013 में विपक्षीगण द्वारा भाग न लिये जाने के आधार पर स्वेच्छा से पीस पार्टी की सदस्यता को त्याग कर दिया था तो भी विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं तर्कों के अनुसार कथित बैठकों का सम्पन्न होना संदिग्ध है क्योंकि विपक्षीगण की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि इन बैठकों की कोई सूचना विपक्षीगण को प्राप्त नहीं हुई । विपक्षीगण ने यह कहा है कि जिन बैठकों का संदर्भ याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया है वह कूटरचित है क्योंकि दिनांक 27 फरवरी, 2013 की बैठक दारुलशफा के कॉमन हॉल के ए ब्लाक में आहूत की गयी जिसमें कि पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों, सभी विधायकों एवं पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है जबकि उक्त कॉमन हॉल में इतने अधिक व्यक्तियों की बैठक होना सम्भव नही है । इसी प्रकार विपक्षीगण की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 19 फरवरी की नोटिस में बैठक का कोई समय प्रदर्शित नहीं किया गया है । बैठक के एजेण्डे पर सामान्य रूप से किसी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं जबकि याचिका के साथ संलग्न किये गये एजेण्डे में लगभग 80 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, जोकि सामान्य नहीं है । अतः विपक्षीगण की ओर से इस पर बल दिया गया है कि कथित बैठक सम्पन्न ही नहीं हुई एवं याचिकाकर्ता की ओर से इन बैठकों के अभिलेखों की कूटरचना की गयी है । विपक्षीगण की ओर से यह भी कहा गया है कि बैठक की सूचना की किसी भी नोटिस की उन पर तामीली नहीं की गयी है । विपक्षीगण द्वारा इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा गया है कि पीस पार्टी की जिन बैठकों का संदर्भ याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है अतः इस कारणवश भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार का कोई औचित्य नहीं है । याचिकाकर्ता की ओर से विपक्षीगण द्वारा बैठकों को आहूत न किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न तथ्यों एवं तर्कों के सापेक्ष संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । अतः तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार की पुष्टि भी नहीं होती है । यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में पीस पार्टी की बैठकों का सम्पन्न होना या उनका सम्पन्न न होना अथवा इन बैठकों में पार्टी के सदस्यों द्वारा भाग लेना अथवा उनके द्वारा सम्मिलित होने या न होने का कोई विनिश्चय अध्यक्ष, विधान सभा के स्तर से दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किये जाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है, परन्तु चूंकि तथ्यात्मक रूप से प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, अतः उनका संदर्भ दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है । चूंकि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में याची द्वारा प्रस्तुत तथ्य संदिग्ध प्रतीत होते हैं, अतः इस कारणवश भी प्रस्तुत याचिका बलहीन प्रतीत होती है ।

43–अध्यक्ष, विधान सभा को दसवीं अनुसूची के खण्ड 6 के अन्तर्गत इस अनुसूची के अन्तर्गत निरर्हता से ग्रस्त होने पर ही किसी प्रकरण में विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन की दशा में विनिश्चय किये जाने का कोई क्षेत्राधिकार दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत निहित अथवा प्राविधानित नहीं है, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय किये जाने के सम्बन्ध में खण्ड 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किये हैंः–

> **6–दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय–(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ः**

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान–मण्डल की कार्यवाहियां हैं।

44–उपर्युक्त प्राविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में मात्र ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे जहां कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया हो । किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन के विषय में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है । किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्राविधान का उल्लंघन उस दल के आंतरिक अनुशासन से सम्बन्धित होगा जिसके विनिश्चय के लिए अध्यक्ष, विधान सभा का स्तर उपयुक्त फोरम नहीं माना जा सकता ।

45–उपर्युक्त तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि याची द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका के सम्बन्ध में संविधान की दसवीं अनुसूची के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **''किहोटाहोलोहन (एआईआर 1993 एससी 412)''** में व्यक्त की गयीं निम्नलिखित अवधारणाएं दसवीं अनुसूची के प्रयोजनों एवं मन्तव्यों को स्पष्ट करती है :–

".....these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2(1)(a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliationand leaves the political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate."

46–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गयीं उपर्युक्त अवधारणाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दसवीं अनुसूची के प्राविधान उसी दशा में आकर्षित होंगे जबकि सदन का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित हुआ है, उससे इतर किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे । प्रस्तुत याचिका के तथ्यों से यह उजागर नहीं होता है कि विपक्षीगण द्वारा किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रति लगाव प्रदर्शित किया हो अथवा अपने मूल राजनीतिक दल से पृथक किसी अन्य दल के प्रति अपनी आस्था उजागर की हो । किसी भी राजनीतिक दल के आंतरिक अनुशासन को बनाये रखने का दायित्व विधान सभा के अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार से परे है । विधान सभा का अध्यक्ष एक संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करता है, अतः किसी राजनीतिक दल के उपाविधि अथवा किसी राजनीतिक दल के संविधान का अनुपालन कराए जाने के विषय में विधान सभा, अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत कोई शक्ति प्रदत्त नहीं है ।

47–संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विधान सभा के अध्यक्ष को प्रकरण के तथ्यों को एकत्र कर यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि क्या तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित सदस्य अथवा सदस्यगण के विषय में दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अन्तर्गत निरर्हता आकर्षित होती है अथवा नहीं । किसी राजनैतिक पार्टी के आंतरिक अनुशासन को संरक्षित करने का विधान सभा अध्यक्ष का कोई विधिक दायित्व नहीं है । **डा0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8 एससीसी 747)**एवं अन्य में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत विधान सभा, अध्यक्ष के दायित्वों एवं कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है जो कि निम्नवत् हैः–

> ***" Paragraph 6 says that where any question arises as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule, the same shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of the House and his decision shall be final Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of acertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1),(2) or (3) of Paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.***

48–प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के सम्बन्ध में दल–बदल के आधार पर निरर्हता उजागर नहीं होती है । प्रकरण के तथ्यों से ऐसा कोई आधार प्रदर्शित नहीं होता है, जिनके परिप्रेक्ष्य में यह परिलक्षित अथवा सिद्ध हो कि संवैधानिक रूप से विपक्षीगण द्वारा स्वेच्छा से दसवीं अनुसूची के मन्तव्यों के अन्तर्गत पीस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है । अतः प्रस्तुत याचिका बलहीन है ।

आदेश

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर डा0 मोहम्मद अय्यूब, अध्यक्ष, पीस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अनुसार 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत सर्वश्री अखिलेश कुमार सिंह, कमाल यूसुफ मलिक एवं अनीसुर्रहमान, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका को अस्वीकार किया जाता है ।

दिनांक : 12 जून, 2015

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 711(1)/वि0स0/संसदीय/175(सं)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :–

1–श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव को श्री राज्यपाल की सूचनार्थ,
2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,
8–प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
9–सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
10–सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
11–डा0 मोहम्मद अय्यूब, बड़हलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश,
12–श्री अखिलेश कुमार सिंह, 5/12, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ,
13–श्री कमाल यूसुफ मलिक, ग्रा0 व पो0–कादिराबाद, सिद्धार्थनगर,
14–श्री अनीसुर्रहमान, ग्राम–कासमपुर, पो0–कांठ, जिला–मुरादाबाद,
15–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
16–महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
17–महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
18–जिलाधिकारी, गोरखपुर/लखनऊ/सिद्धार्थनगर/मुरादाबाद,
19–विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

राम बिहारी मिश्र,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 37 विधान सभा (63)-12-06-2015-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।